भारत संघ एवं अन्य

बनाम

हिरनमोई सेन एवं अन्य

12 अक्टूबर, 2007

[ए-के- माथुर और मार्कंडेय काटजू जे.जे.]

सेवा नियम :

वेतनमान-समानता का दावा-महालेखाकार कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के साथ केंद्रीय सचिवालय के सहायकों द्वारा-का अनुदान, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा-अभिनिर्धारित: उचित नहीं है क्योंकि दोनों समुहों की बीच कोई पूर्ण समानता नहीं है-इसके अलावा, सरकार और अधिकारी वेतनमान तय करते हैं-न्यायापालिका को आत्मसंयम बरतना चाहिए और कार्यपालिका या विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए-न्यायिक संयम।

उत्तदाताओं-महालेखाकार असम और मेघालय के कार्यालय में वरिष्ठ लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्रीय सचिवालय में सहायकों के साथ वेतनमान में समानता की मांग की गई थी। ट्रिब्यूनल व उच्च न्यायालय दोनों में उत्तरदाताओं के पक्ष में दावे का फैसला किया। अतः यह वर्तमान अपील।

अपीलों को स्वीकार कर, न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित कियाः

1.1. यहां यह नहीं कहा जा सकता है कि महालेखाकार, असम व मेघालय में कार्यरत वरिष्ठ लेखा परीक्षकों व केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के मध्य पूर्णतः समानता हो। इसके अलावा वेतनमान तय करना पूर्णतः सरकार व अधिकारियों पर निर्भर करता है। न्यायपालिका को आत्मसंयम बरतना चाहिए और कार्यपालिका या विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। [अनुच्छेद 4 व 5, [85-ब,ड़]

एस.सी.चंद्रा व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य, जेटी (2007) 10 4 एससी 272, पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7232/2003

डब्ल्यू.पी संख्या 7598/2001 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 16.09.2002 के निर्णय और आदेश से।

साथ

सी.ए संख्या 7234/2003 और 4858/2007

विकास सिंह, ए.एस.जी., टी.एस. दोबिया, पी.एस. पटवालिया, मनप्रीत दोबिया, सुनीता शर्मा, अमृता स्वरूप, अशोक भान, अलका शर्मा, आर.सी. काथिया, डी.एस. महरा, अनिल कटियार, वी.के. वर्मा, जे.एस.

अत्री, सुनील रॉय, अमनप्रीत सिंह राही, देवेश कुमार त्रिपाठी, आर आनंद पद्मनाभन, प्रमोद दयाल, अनिल नौरिया, सुमिता हजारिका, ई.जे. वर्गीस, वी.के. सिद्धार्थन, अजय शर्मा उपस्थित पार्टियों की तरफ से व स्मिता वन्ना हस्तक्षेपकर्ता के रूप में।

न्यायालय का फैसला मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा सुनाया गया।

सिविल अपील संख्या 7232/2003

1. यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय डब्ल्यू.पी. सं. 7598/2001 दिनांकित 16.09.2002 के विरूद्ध दायर की गई है।

2. पक्षकारों के विद्धान वकीलों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. संक्षेप में, उत्तरदाताओं का दावा इस प्रकार है कि वह महालेखाकार असम और मेघालय के कार्यालय में वरिष्ठ लेखापरीक्षक थे जिन्हें केंद्रीय सचिवालय में सहायकों के साथ वेतनमान समानता दी जानी थी। इस दावे को केंद्रीय प्रशासनीक ट्रिब्युनल ने अपने आदेश दिनांक 19.01.2001 के द्वारा डिक्री किया था एवं ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश की पुष्टि गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। अतः यह अपील की गई।

4. इस न्यायालय द्वारा *एस.सी.चंद्रा व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य* जेटी (2007) 10 4 एससी 272 में यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय वेतनमान निर्धारित नहीं कर सकता है चूंकि वह विशेष रूप से शासनात्मक कार्य है। उपरोक्त निर्णय में हममें से एक (मार्कंडेय काटजू, जे.) ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की है और यह देखा है कि इस न्यायालय के हाल की निर्णयों में उक्त सिद्धांत को काफी कम कर दिया गया है, और तब तक उक्त सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है जब तक की दोनों समुहों के बीच पूर्णतया समानता ना हो और वहां भी मामले को जांच के लिए विशेषज्ञ समिति को भेजा जाना चाहिए जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है बजाए इसके की न्यायालय स्वयं उच्च वेतनमान प्रदान करे। उक्त निर्णय में इस विषय पर पूरे मामले के कानून पर चर्चा की गई है। उपरोक्त एस.सी. चंद्रा के प्रकरण (सुप्रा) के निर्णय के बाद इस अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए। यहां यह नहीं कहा जा सकता है कि महालेखाकार, असम व मेघालय में कार्यरत वरिष्ठ लेखा परीक्षकों व केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के मध्य पूर्णतः समानता हो।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने जाहिर किया है कि वेतनमान के मामले में लेखा परीक्षकों व सहायकों को ऐतिहासिक रूप से समान

माना गया है। हालांकि अपीलकर्ता द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है परंतु हम इस राय के हैं कि भले ही यह सही हो लेकिन इससे उत्तरदाताओं को कोई मदद नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि पद ए और पद बी समान वेतनमान ले रहे हैं, तो केवल इसलिए की पद ए के वेतनमान में वृद्धि की गई है तो इसके परिणाम स्वरूप पद बी के वेतनमान में समान स्तर तक वृद्धि नहीं की जाएगी। वेतनमान तय करना और पद बी का वेतनमान बढ़ाना चाहिए या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार और अधिकारियों पर निर्भर करता है। न्यायपालिका को आत्मसंयम बरतना चाहिए और कार्यपालिका या विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय के एस.सी.चंद्रा के निर्णय को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय दिनांकित 16.09.2002 और ट्रिब्युनल के निर्णय दिनांक 19.01.2001 को निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। वाद खर्चा बाबत कोई आदेश नहीं।

सिविल अपील संख्या...../2007 [एसएलपी(सी) संख्या 6229/2006 से उद्भूत] और सिविल अपील संख्या 7234/2003

7. एस.एल.पी(सी) सं. 6229/2006 में अनुमति दी गई है।

8. सिविल अपील सं. 7232/2003 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इन अपीलों को स्वीकारा जाता है। वाद खर्चा बाबत कोई आदेश नहीं।

एन.जे. अपीलों में अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूजा मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।